JCMM

Prospectus

2026-27

JEEVAN CHANAN POST-GRADUATE MAHILA MAHAVIDYALAYA

ASSANDH (KARNAL)

Ph.: 01749-277243, 277244, 08569895047

Website : www.jcmmassandh.com

Administrator's Message

Dear Students,

Jeevan Chanan Mahila Mahavidyalaya was established in the year 2003 by philanthropist Sh. B.R. Arora Ji and his family with the objective of educating and thereby empowering women of the area.

It is a not-for-profit institute being run by Jeevan Chanan Charitable Trust, which also runs an old people home and a home for differently abled children in NOIDA.

At J.C.M.M. we are committed to providing quality education to make our students economically independent as also socially useful. We are aware of the emerging challenges. We know that 80% of the students coming out of the colleges and universities today are not employable. And that is why, we strive hard here to recognize and develop the innate talents of our students so that they are not only able to find a job but also become successful and happy citizens.

Dear students, for all this we need your commitment to learn and to contribute to our effort of providing you holistic education. Learn to think critically, learn communication skills and remain disciplined.

We have different clubs in the college. Join some of them so that you are able to participate in co-curricular activities and develop your personality. And when you leave this institute you feel confident and competent for the art and business of living.

Dr. R.N. Gupta

जीवन चानन महिला महाविद्यालयः एक संक्षिप्त परिचय

(Jeevan Chanan Mahila Mahavidyalaya,Assandh : A Brief Introduction)

जीवन चानन महिला महाविद्यालय की स्थापना परम आदरणीय श्री बी. आर. अरोड़ा जी ने अपने माता-पिता जी की स्मृति में सन् 2001 में की। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से सम्ब(इस महाविद्यालय में सन् 2003 से शैक्षिक कार्य प्रारम्भ हुआ। दानवीर एवं समाज सेवी श्री अरोड़ा जी की दूर दृष्टि के परिणाम स्वरूप स्त्री शिक्षा की दृष्टि से इस पिछड़े हुए क्षेत्र में आज जीवन चानन महिला महाविद्यालय एक अग्रणी महाविद्यालय है। जीवन चानन चैरिटेबल ट्रस्ट, नई दिल्ली तथा स्थानीय प्रबन्धक समिति के प्रयासों के परिणाम स्वरूप महाविद्यालय 11 एकड़ भूमि पर बना हुआ है। असन्ध क्षेत्र के 45 कि. मी. की दूरी तक उच्च शिक्षा संस्थानों के अभाव में छात्राएं उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती थी। श्री बी. आर. अरोड़ा जी एवं स्थानीय प्रबन्धक समिति के सदस्यों की संवेदना एवं महिलाओं के प्रति सकारात्मक सोच के

परिणाम स्वरूप छात्राओं के चहँमुखी विकास एवं महिला सशक्तिकरण हेतु इस महाविद्यालय की स्थापना हुई। विशाल भवन, सुव्यवस्थित पुस्तकालय, आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशालाएँ, कम्प्यूटरीड्डत कार्यालय, विशाल क्रीड़ा क्षेत्र, विभिन्न विषयों की परिषदें, अध्ययन एवं अध्यापन के लिए अनुशासित वातावरण, प्राध्यापकों का समाज सेवी अभिमुखीकरण एवं त्याग की भावना इस महाविद्यालय की मुख्य विशेषताएँ हैं।

महाविद्यालय में हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी, पर्यावरण अध्ययन, कम्प्यूटर शिक्षा, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, लोकप्रशासन, गृह विज्ञान, गणित, मनोविज्ञान, संगीत, शारीरिक विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, प्रबन्धन, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र तथा वाणिज्य संकाय के विषयों का अध्ययन कराया जाता है। वर्तमान में महाविद्यालय में 917 छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं।

महिला सशक्तिकरण महाविद्यालय का प्रमुख उद्देश्य है। छात्राओं के सर्वांगीण विकास' के लक्ष्य को लेकर महाविद्यालय प्रबन्धक समिति, प्राचार्या, एवम् प्राध्यापक वर्ग अध्ययन-अध्यापन कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु सतत् जागरूक एवं प्रयत्नशील हैं। महाविद्यालय में जहाँ प्राचार्या महोदया के दिशा निर्देश व प्राध्यापक वर्ग की विशेष योग्यता, अनुभव व समर्पण भाव आवश्यक है। वहीं छात्राओं की मेहनत, लग्न एवं अनुशासन में रहने की भावना की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। असन्ध क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद एवं शुभकामनाओं के कारण आज महाविद्यालय विकास एवं प्रगति की ओर निरन्तर अग्रसर है। अध्यक्ष, श्री बलदेव राज अरोड़ा जी एवं स्थानीय प्रबन्धक समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की दूरदृष्टि, लग्न एवं अनथक

प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्ष 2007-2008 में शैक्षणिक महाविद्यालय (College of Education की स्थापना भी इसी परिसर में की गई है।

संक्षेप में जीवन चानन चैरिटेबल ट्रस्ट, नई दिल्ली के अध्यक्ष श्री बी. आर. अरोड़ा जी जीवन चानन महिला महाविद्यालय, असंध, जीवन चानन बी.एड. कॉलेज, असंध और जीवन चानन सामुदायिक भवन, असंध (पंजाबी धर्मशाला के नाम से विख्यात) के संस्थापक के रूप में असंध क्षेत्र की सेवा में पूर्णतः तल्लीन है।हम उनके स्वस्थ जीवन एवं दीर्घायु की कामना करते हैं ताकि वे इसी प्रकार समाज सेवा करते रहें।

महाविद्यालय के प्रमुख उद्देश्य

(Main Objectives of the College)

1. छात्राओं का बहुमुखी विकास (All Round Development) करने तथा भविष्य में अच्छे नागरिक बनने में सहायता करना।

2. छात्राओं का उत्कृष्ट शैक्षणिक विकास एवं उत्थान करना ताकि वे जीवन में आत्मनिर्भर हो सकें एवं ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात उनके आत्म विश्वास में निरन्तर वृद्धि हो सके।

3. छात्राओं में अनुशासन, त्याग, समाजसेवा, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी, सुचरित्र इत्यादि गुण विकसित करना ताकि वे एक सुन्दर परिवार, समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में सहायक हो सकें।

4. छात्राओं में प्रजातांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष मूल्यों, साम्प्रदायिक सौहार्द्र, राष्ट्रीय भावना, वैज्ञानिक एवं तर्क संगत दृष्टिकोण, एवं मानवीय मूल्यों को विकसित करना।

5. छात्राओं को गुणवत्तायुक्त, कौशलतापूर्ण एवं हुनरमंद तथा रोजगारपरक शिक्षा प्रदान करना ताकि महिला सशक्तिकरण में वृद्धि हो।

6. सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर होने वाले परिवर्तनों के सम्बंध में छात्राओं को सचेत करना तथा शैक्षणिक वातावरण विकसित करना ताकि वे भारतीय एवं पश्चिमी संस्कृति के सुन्दर मिश्रण से अच्छी-अच्छी बातें ग्रहण कर सकें।

7. छात्राओं में सामाजिक चेतना, विवेकशीलता एवं तर्कसंगतता विकसित करना ताकि महिला विरोधी मानसिकता में परिवर्तन किया जा सके एवं महिलाओं के शोषण का प्रतिकार किया जा सके।

महाविद्यालय की मुख्य विशेषताएँ

(Salient Features of the College)

1. इस महाविद्यालय की स्थापना सुप्रसिद्ध दानवीर एवं समाजसेवी श्री बलदेव राज अरोड़ा जी ने अपने माताजी-पिताजी श्रीमती जीवन देवी जी एवं श्री चाननदास अरोड़ा जी की पुण्य स्मृति में की है।
2. जीवन चानन महिला महाविद्यालय का संचालन स्थानीय प्रबन्धक समिति के द्वारा किया जाता है।
3. महाविद्यालय की स्थापना 24 दिसम्बर 2001 को हुई तथा जुलाई 2003 में प्रथम शैक्षणिक सत्र का शुभारम्भ हुआ।
4. महाविद्यालय का कुल क्षेत्रफल 11 एकड़ है।
5. **Major Courses:** हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी, पर्यावरण अध्ययन, कम्प्यूटर शिक्षा, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, कम्प्यूटर विज्ञान, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, संगीत, शारीरिक विज्ञान, लोकप्रशासन, गणित, भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र।

   Minor Courses: हिन्दी, इन्लिश, रसायन शास्त्र, कम्प्यूटर विज्ञान

6. सुयोग्य एवं अनुभवी प्राध्यापिका वर्ग एवं कर्तव्यनिष्ठ गैर-शैक्षणिक कर्मचारी।
7. नवीनतम सुविधाओं से परिपूर्ण नवनिर्मित पुस्तकालय।
8. छात्राओं की खेलों में राज्य, विश्वविद्यालय एवं अखिल भारतीय स्तरों पर सहभागिता।

9. विभिन्न विषयों की अति सक्रिय परिषदें।
10. सांस्कृतिक कार्यक्रमों में छात्राओं की सक्रिय सहभागिता।
11. अति सुसज्जित 50 क्लास रूम, 12 प्रयोगशालाएँ एवं 6 स्मार्ट बोर्ड ।
12. कम्प्यूटरीकृत कार्यालय, इन्टरनेट, फैक्स, फोटोस्टेट इत्यादि की सुविधा।
13. छात्राओं के लिए निः शुल्क टेलीफोन सुविधा।
14. साफ-सुन्दर कैंटीन एवं स्वच्छ पेयजल की सुविधाएं।
15. छात्राओं के लिए बसों की विशेष सुविधा।
16. छात्राओं के चहुँमुखी विकास हेतु विभिन्न गतिविधियों का निरन्तर आयोजन।
17. प्रबन्धक समिति के द्वारा शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों में निष्काम सेवा भावना को प्रोत्साहित किया जाना।
18. महाविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण को बनाने तथा संवारने एवं अपनी बेटियों को उच्चत्तर शिक्षा ग्रहण करवाने के लिए असंध क्षेत्र की जनता का सम्पूर्ण सहयोग प्राप्त होना।
19. विभिन्न धर्मों, जातियों एवं उपजातियों, मत-मतान्तरों तथा सम्प्रदायों से सम्बन्धित छात्राओं में 'भगिनीवाद' (Sisterhood) की भावना विद्यमान होना।
20. महाविद्यालय के प्लेसमेंट सेल (Placement Cell) के द्वारा छात्राओं के व्यक्तित्व के विकास का प्रयास किया जाना।

स्टाफ

प्रशासक

डॉ आर. एन. गुप्ता	एम. ए., पी.एच.डी (इंग्लिश)

हिन्दी विभाग

डॉ. हेमलता वशिष्ठ	एम. ए. , पी.एच.डी
डॉ. सुरेखा	एम. ए. ,एम. फिल. , पी.एच.डी , (NET), एम. ए. एजुकेशन, पी.जी डी.जे.एम.सी
श्रीमती बीना देवी	एम. ए. (हिन्दी, अंग्रेजी, एजुकेशन) , बी. एड.
सुश्री रिद्धि वधवा	एम. ए.

अंग्रेजी विभाग

डॉ. नीतू सेठी	एम.ए,एम. फिल.,पी.एच.डी , बी. एड.
श्रीमती रजनी बजाज	एम. ए., एम. फिल. , बी. एड.
श्रीमती सोनिया	एम. ए., बी. एड., एम. एड.

पंजाबी विभाग

डॉ. सिमरत पाल	**एम. ए., एम. फिल.,पी.एच.डी**

संस्कृत विभाग

श्रीमती प्रियंका	एम. ए., (NET)

अर्थशास्त्र विभाग

डॉ. रेखा रानी	एम. ए.,पी.एच.डी, (NET)

सुश्री श्वेता	एम. ए., (NET)
गृह विज्ञान विभाग	
सुश्री मानसी	एम. एस. सी
मनोविज्ञान विभाग	
सुश्री शिवानी	एम. ए.
शारीरिक शिक्षा विभाग	
श्रीमती मीनाक्षी	बी.पी.एड, एम.पी.ई.एस
संगीत विभाग	
श्रीमती सुषमा नेगी	एम. ए., एम. फिल., बी. एड.
राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग	
सुश्री हर्षिका	एम. ए., (NET)
सुश्री निधि	एम. ए., (NET)
गणित विभाग	
श्रीमती के. डी शर्मा	एम. एस. सी, एम. फिल., बी. एड.
श्रीमती भारती	एम. एस. सी, बी. एड.
सुश्री पूजा	एम. एस. सी
इतिहास विभाग	
सुश्री अमृता बिसला	
वाणिज्य विभाग	
श्रीमती सुषमा शर्मा	एम.कॉम., एम. फिल., (NET), बी.एड.
श्रीमती सपना कादियान	एम.कॉम., (NET), बी.एड.
श्रीमती अदिति	एम.कॉम., बी.एड.
श्रीमती नेहा	एम.कॉम., एम.बी.ए
रिक्त	
रिक्त	
कम्प्यूटर विज्ञान विभाग	
श्रीमती आशा बब्बर	एम.सी. ए
सुश्री सोनिया छाबड़ा	एम.सी. ए
श्रीमती प्रियंका पाहवा	एम.सी. ए
श्रीमती मीनाक्षी चौधरी	एम.टेक. (NET, JRF)
सुश्री चेतना	एम. एस. सी
सुश्री नेहा	एम. एस. सी
भौतिकी विज्ञान विभाग	
श्रीमती छवि मोंगिया	एम.एस.सी., बी.एड.
रसायन शास्त्र विभाग	
सुश्री रितिका गुट	एम.एस.सी., बी.एड.

सुश्री गीता	एम.एस.सी

वाणिज्य प्रबन्धन विभाग

श्रीमती मनीषा फोगाट	एम.कॉम., एम.बी.ए, (NET), बी. एड.
श्रीमती दीप्ती दुआ	एम.कॉम., एम.बी.ए, बी.एड.
श्रीमती राजविन्द्र कौर	एम.कॉम., एम.बी.ए, बी.एड.

पुस्तकालय विभाग

श्रीमती रेणु बाला	एम. ए., एम. लिब

प्रशासनिक विभाग

श्री नरेश कौशिक (मुख्य लिपिक)	एम. ए. (अर्थशास्त्र)
श्रीमती शैली सिंगला (लिपिक)	एम. ए., बी.एड., पी.जी.डी.सी.ए.
सुश्री मंजू (डाटा एंट्री ऑपरेटर)	बी. टेक
श्रीमती बिन्दु (लिपिक)	डिप्लोमा (टैली)
श्रीमती पूनम	एम.ए. (समाज शास्त्र) (DCA from Hartron)

Programmes Offered:

1) B.A.	**2) B.Com (General)**	**3) B.Com (Voc) Computer Applications**
4) BBA	**5) BCA**	**6) B.Sc (Physical Science)**
7) M.Com	**8) M.A. (Hindi)**	

प्रत्येक विद्यार्थी के लिए Skill Oriented Value Added Short Term Course करना अनिवार्य है। यह पाठ्यक्रम सरकार के निर्देशानुसार लागू किये जा रहे हैं।

Important Information

आचार संहिता

महाविद्यालय में प्रवेश पाने वाली सभी छात्राओं का अभिनन्दन करते हुए आपसे महाविद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग व अनुशासन की अपेक्षा की जाती है। आप परिचायिका में संग्रहित जानकारी व नियमों को ध्यान पूर्वक पढ़ें तथा उनका दृढता से पालन करें ताकि महाविद्यालयें में सद्भावपूर्ण स्वस्थ वातावरण बना रहे।

- महाविद्यालय का समय प्रातः 9:00 से 04:00 सांय तक रहेगा। आप अपने टाइम टेबल के अनुसार इस समय में कक्षाएं लगाने के लिए बाध्य हैं।
- महाविद्यालय में रैंगिंग पूर्णतः प्रतिबन्धित है। इसकी देख-रेख के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। आप कमेटी से सम्पर्क कर सकते हैं।

- प्रत्येक विद्यार्थी का यह कर्तव्य है कि वह प्रतिदिन महाविद्यालय का सूचना पट्ट (नोटिस बोर्ड) को दिन में दो बार (प्रातः काल व दोपहर बाद) अवश्य देखें। यह अतिआवश्यक है ताकि आप महाविद्यालय में हो रही नवीनतम गतिविधियों से परिचित रहें।

महाविद्यालय में विद्यार्थियों द्वारा पालन करने योग्य नियम इस प्रकार है :-

1. प्रत्येक छात्रा के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य है।
2. लगातार 6 (छः) दिन तथा माह में 15 (पन्द्रह) दिन अनुपस्थित रहने पर छात्रा का नाम काट दिया जायेगा।
3. एक सेमेस्टर में दो बार नाम काटने पर पुनः दाखिला नहीं होगा। यह वि श्वविद्यालय द्वारा निर्देश है।
4. महाविद्यालय में छात्राओं के लिए छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं है। अति आवश्यक होने अथवा बीमार होने पर मैंटर से लिखित अनुमति लेकर अनुपस्थित छात्राओं को केवल नाम न कटने में छूट मिल सकती है। इसके लिए डॉक्टर की लिखित अनुमति अनिवार्य है।
5. सभी छात्राएं अपने पहचान पत्र को गले में डालकर रखें। किसी भी प्राध्यापक/प्राध्यापिका द्वारा मांगने पर यह दिखाना होगा।
6. महाविद्यालय परिसर में मोबाइल फोन का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित निर्देशों की अनुपालना अति आवश्यक है:
   i. कक्षा में मोबाइल फ़ोन को बंद करना अनिवार्य है। यदि कक्षा के दौरान मोबाइल का प्रयोग किया जाएगा तो छात्रों को 500/- fine देना होगा।
   ii. मोबाइल से संगीत सुनना वर्जित है।
   iii. मोबाइल पर रील देखना व रील बनाना पूर्ण रूप से वर्जित है।
   iv. मोबाइल गुम हो जाने पर महाविद्यालय की कोई जिम्मेवारी नहीं है।
   v. यदि मोबाइल का प्रयोग महाविद्यालय के अनुशासन के विरूद्ध, देश विरोधी कार्यों के लिए जैसे अफवाह फैलाना, मोबाइल पर अनुचित सामग्री post करना आदि पर मोबाइल जब्त कर लिया जाएगा। इसके समाधान के लिए माता-पिता का महाविद्यालय में आना अनिवार्य है।
9. महाविद्यालय परिसर में किसी भी अनुशासनहीनता पर छात्रा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
10. छात्राएं केवल पुस्तकें लेने-देने या पठन-पाठन हेतु ही पुस्तकालय में जायें तथा अनुशासन का विशेष ध्यान रखें।
11. छात्राओं का बरामदों में शोर करना, खड़े रहना या व्यर्थ घूमना सख्त मना है। इसे अनुशासनहीनता माना जायेगा।
12. छात्राएं महाविद्यालय परिसर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें और किसी भी तरह का कूड़ा/कचरा डस्टबीन में ही डालें।
13. छात्राएं कक्षा से बाहर जाते समय पंखे व जलती लाईटें बन्द कर दें।
14. महाविद्यालय की सम्पति का ध्यान रखना सभी छात्राओं की जिम्मेदारी है।
15. स्कूटर पर आने वाली सभी छात्राएं यातायात नियमों का पालन करें व हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें और संबन्धित दस्तावेज साथ रखें।
16. पर्यावरण उन्नत बनाने हेतु पॉलिथीन का प्रयोग वर्जित है, ऐसा न करने पर दण्डित किया जायेगा

छात्राओं के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिये निम्नलिखित प्रकोष्ठ हैं जिसमें उनकी सहभागिता अनिवार्य है।

महिला अध्ययन एवं कानूनी साक्षरता प्रकोष्ठ

छात्राओं के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय में महिला अध्ययन एवं कानूनी साक्षरता प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। महिलाओं से सम्बन्धित विभिन्न अधिकारों, कानूनों एवं अपराधों तथा स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने के लिए सेमिनार, रैली, विस्तार भाषण, वर्कशाप एवं प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है तथा जीवन में आगे बढ़ने के लिए छात्राओं का आत्म-विश्वास बढ़ाकर उन्हें समाज के सशक्त व जिम्मेदार नागरिक बनाने का प्रयास किया जाता है।

Mentor-Mentee व्यवस्था

महाविद्यालय में छात्राओं की समस्याओं के निवारण और उनको मार्गदर्शन देने के लिए Mentor-Mentee व्यवस्था सक्रिय है। प्रत्येक छात्रा को एक Mentor से जोड़ा जाता है और यह Mentor-Mentee की व्यवस्था उसके सम्पूर्ण महाविद्यालय जीवन में लागू रहती है। महाविद्यालय में छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु अध्यापन के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है।

पुस्तकालय

महाविद्यालय का पुस्तकालय अत्यन्त समृद्ध है। सभी छात्राओं के लिए पुस्तकालय का उपयोग अनिवार्य है। छात्राओं को पुस्तकालय के अधिकाधिक प्रयोग के प्रोत्साहन हेतु पुस्तकालय का उत्तम प्रयोगकर्ता पुरस्कार का प्रावधान है। पुस्तकालय में लगभग सभी दैनिक समाचार पत्र तथा छात्रोपयोगी पत्रिकाएं मंगवाई जाती हैं। छात्राओं द्वारा पुस्तकालय के निम्नलिखित नियमों की पालना अनिवार्य है :-

1. पुस्तकालय कार्ड को छात्राएं आपस में नहीं बदल सकती हैं।
2. पुस्तकें 14 दिनों के लिए जारी (मान्य) होती हैं। इस अवधि के समाप्त होने पर पुस्तकें वापिस कर दें या नवीनीकरण करवा लें।
3. पुस्तकालय कार्ड केवल पुस्तकालय हेतु प्रयोग करें।
4. पुस्तकें वापिस करने में विलम्ब होने पर एक रूपया प्रतिदिन प्रति पुस्तक के हिसाब से जुर्माना देना होगा।
5. पुस्तकालय कार्ड गुम हो जाने पर छात्रा स्वयं जिम्मेवार होगी तथा दूसरा कार्ड जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र के साथ 50/- रूपये जुर्माना जमा कराने पर ही जारी किया जायेगा।
6. छात्राएं पुस्तकालय-कार्ड को वार्षिक परीक्षा से पहले पुस्तकालय में जमा कराएं ताकि छात्राओं को NO DUES Certificate दिया जा सके।
7. प्रत्येक छात्रा पुस्तकालय से ली गई पुस्तक की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगी। यदि पुस्तक लेते समय उस पुस्तक में किसी प्रकार का दोष या कमी दिखाई दे तो उसे उसी समय पुस्तकालयध्यक्ष के ध्यान में लाना चाहिए।
8. पुस्तक की किसी प्रकार की क्षति होने पर संबंधित छात्रा को उसकी क्षतिपूर्ति करनी होगी। पुस्तक के गुम हो जाने पर पुस्तकालय द्वारा अपेक्षित मूल्य जमा करवाना होगा।
9. वे छात्राएं जो किसी प्रतियोगिता की तैयारी चाहती है उनकी सहायता के लिए पुस्तकालय में computers की व्यवस्था है।

खेलकूद प्रकोष्ठ

महाविद्यालय में छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य के विकास के लिए खेलों की व्यवस्था है तथा वह अपनी रूचि के अनुसार इन खेलों में भाग ले सकती हैं। इस प्रकोष्ठ का उद्देश्य तन व मन को सदृढ़ बनाने के लिये जागरूक करना है। यथा सम्भव छात्राओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है जो किसी विशेष खेल के प्रति रूचि रखती है।

एन.एस.एस.

महाविद्यालय में एन.एस. एस. की एक इकाई स्थापित है। जिसमें लगभग 100 स्वयं सेविकाएं कार्यरत हैं। एन.एस. एस. से संबंधित गतिविधियों का संचालन महाविद्यालय के एन. एस. एस. Programme Officer की देख-रेख में होता है। इस ईकाई का उद्देश्य सामाजिक प्रेम, भाईचारा व समाज के प्रति सेवा भावना जागृत करना है।

एन.एस.एस. का सदस्य बनने के लिए छात्राओं को महाविद्यालय के एन. एस.एस. कार्यालय से फार्म लेकर व उसमें सारी जानकारी भरकर कार्यालय में ज़मा कराना होता है। पंजीकरण फार्म में भरी गई जानकारी व विद्यार्थी की शैक्षणिक एवं अन्य गतिविधियों को ध्यान में रखकर ही छात्रों का एन.एस.एस. इकाई में चयन किया जाता है। इसके लिए Mrs. Manisha Phogat, Programe Officer से सम्पर्क करें।

साहित्यिक परिषद

साहित्य समाज का दर्पण होता है। अतः छात्राओं की साहित्य के प्रति रूचि बढ़ाने तथा उनमें छुपी रचनात्मक प्रतिभा को निखारने के लिए महाविद्यालय की साहित्यिक परिषद द्वारा समय-2 पर कविता पाठ, प्रश्नोतरी, निंबध, वाद-विवाद आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इसका मूल उद्देश्य भाषा में साहित्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है।

सांस्कृतिक परिषद

छात्राओं में छुपी प्रतिभाओं को पहचानने, उनको निखारने व दिशा देने के लिए यह परिषद् वर्ष-भर कार्य करती है। इसकी प्रमुख गतिविधियों में प्रतिभा खोज प्रतियोगिता, अन्तर्महाविद्यालय युवा समारोह में भाग

लेना तथा कला संगम जैसे उत्सव का आयोजन शामिल है। इस का मूल उद्देश्य छात्राओं में भारतीयता का भाव उत्पन्न करना है।

विषय परिषद्

1. भाषा साहित्य विषय-परिषद्
2. अर्थशास्त्र, वाणिज्य एवं प्रबंधन विषय-परिषद्
3. सामाजिक विषय-परिषद्
4. साईस एवं कम्प्यूटर साईस विषय-परिषद्

सड़क सुरक्षा क्लब

सड़क सुरक्षा क्लब के तत्वाधान में यातायात के विभिन्न नियमों, सड़क सुरक्षा से सम्बंधित कार्यक्रम वर्षभर आयोजित किये जाते हैं। इस क्लब का मुख्य उद्देश्य जीवन मूल्यों को समझना व समझाना है।

यूथ रेड क्रॉस

जीवन चानन स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय असंध में यूथ रेड क्रॉस की यूनिट कार्यरत है। जिसका मूल उद्देश्य मुख्य रूप से युवाओं में सेवा, सहयोग, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के मूल्य को बढ़ावा देना है। युवाओं में मानवता, एकता और सेवा भाव की भावना का विकास करना है। आपदा के समय में सहयोग देना और बिना किसी भेदभाव के सभी की सहायता करना इसका मूल उद्देश्य माना जाता है।

रेड रिबन क्लब

जीवन चानन स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय असंध में रेड रिबन क्लब यूनिट कार्यरत है। जिसका मूल उद्देश्य एचआईवी /एड्स के प्रति जागरूकता फैलाना, सकारात्मक जीवन मूल्य का विकास करना, नशा मुक्ति और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना व सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देना है।

मतदाता जागरूक क्लब

छात्राओं को लोकतंत्र में मतदान के प्रति जागरूक करने लिए महाविद्यालय में मतदाता जागरूक क्लब भी स्थापित किया गया है।

पर्यावरण संरक्षण क्लब

पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता को देखते हुए महाविद्यालय में इस क्लब के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण पर वर्ष भर गतिविधियाँ आयोजित की जाति हैं। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न करना है।

विशेष दिवस आयोजन क्लब

विशेष दिवस आयोजन महाविद्यालय की नियमित गतिविधि है। इस समिति के तत्वाधान में महत्वपूर्ण दिवस आयोजन की स्वस्थ परम्परा को कायम रखते हुए, शिक्षक दिवस, महापुरुषों की जयंती, शहीदी दिवस इत्यादि विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस क्लब का उद्देश्य राष्ट्रीयता के प्रति समर्पण भाव उत्पन्न करना है।

विज्ञान क्लब

महाविद्यालय में विज्ञान क्लब भी सुचारू रूप से कार्य कर रहा है जिसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियाँ करवाई जाती हैं।

कॉलेज पत्रिका

छात्राओं की लेखन कला को बढ़ावा देने के लिए महाविद्यालय की पत्रिका "निर्झर" का प्रकाशन किया जाता है। जिसमें छात्राएं द्वारा हस्तलिखित कविता, लघु कथा, कहानी का प्रकाशन किया जाता है।

Research & Development Cell

वह छात्राएं जो नवाचार और अनुसंधान करने में रुचि रखती हैं उन्हें इस प्रकोष्ठ के द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा व एक विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

रोजगार प्रकोष्ठ

महाविद्यालय में पढ़ाई के साथ-साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं व रोजगार के बारे में समय-समय पर जानकारी दी जाती है ताकि वे अपने प्रोफेशन के बारे में किसी प्रकार की दुविधा में न रहें। इन सबके लिए विभिन्न कम्पनियों व रोजगार संस्थाओं से सम्पर्क करके साक्षात्कार आयोजित किए जाते हैं। छात्राओं को कोचिंग कक्षाएं, साक्षात्कार द्वारा वाक् कला में निपुणता आदि की ट्रेनिंग दी जाती है।

नवाचार केन्द्र

महाविद्यालय में छात्राओं की कौशल-कला को बढ़ावा देने के लिए एक नवाचार केंद्र का निर्माण किया गया है। इस केंद्र के माध्यम से छात्राओं को बाहरी दुनिया में अपनी पहचान बनाने के नए मौके दिए जाते हैं।

एंटी रैगिंग

महाविद्यालय परिसर में रैगिंग पर सख्त प्रतिबंध (Ragging is strictly banned in the college campus) भारतवर्ष के सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार महाविद्यालय परिसर में किसी भी छात्रा के साथ की गई रैगिंग(Ragging) एक दंडनीय अपराध हैं। इस अपराध में संलिप्त छात्रा को न्यायालय के द्वारा दी गई निम्नलिखित आदेश की व्याख्या के आधार पर दंडित किया जाएगा।

बस सुविधा

छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 15 किलोमीटर के दायरे में बस की सुविधा दी गई है। एक शिक्षा सत्र में 9 महीने के लिए बस चलाई जाती है। एक बार बस पास बनने के बाद 9 महीने की फीस चुकानी होगी।

Internship

सभी छात्राओं के लिए IInd Semester या IV Semeter के बाद Internship manadatory है। अगर कोई छात्रा यह internship नहीं करती है तो उसको Graduation degree नहीं मिलेगी। (**अगर कोई छात्रा internship के दौरान कोई अनुशासनहीनता करती है तो उसको Certificate नहीं मिलेगा**)

वित्तीय सहायता, छात्रवृतियां व अनुदान

(Govt. of India/Government of Haryana scholarships}

(Govt. of India National Scholarship Scheme):

इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित विद्यार्थियों को छात्रवृतियाँ प्रदान की जाती हैं:

1. जो विद्यार्थी विभिन्न कक्षाओं में मैरिट प्राप्त करते हैं उनको हरियाणा सरकार द्वारा छात्रवृतियाँ प्रदान की जाती हैं।
2. महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को भारत सरकार, हरियाणा सरकार, विश्वविद्यालय, हरिजन तथा सैनिक छात्रवृति प्रदान की जाती है। इच्छुक छात्राएं महाविद्यालय के कार्यालय से सम्पर्क करें।

(Govt. of India Post Matric Scholarship scheme for scheduled castes/scheduled Tribes students)

भारत सरकार की इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उन विद्यार्थियों को जिनके माता-पिता/अभिभावकों की स्रोतों से वार्षिक आय 2,50,000 (अढ़ाई लाख) रूपये से अधिक न हो, को यह छात्रवृति दी जाती है।

(Post Matric Scholarship for Backward classes students)

पिछड़ी जातियों से सम्बन्धित उन विद्यार्थियों को जिनके माता-पिता/अभिभावकों की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2,50,000 (अढ़ाई लाख) रूपये से अधिक न हो, यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

इस योजना के अन्तर्गत निर्दिष्ट जातियों/अर्ध-जनजातियों/कम आय वर्ग के विद्यार्थियों के लिए अभिभावकों की वार्षिक आय के आधार पर छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती है।

Promotion of Science Education (POSE) Scholarship Scheme for Students of UG and PG Sc. Courses:

In order to encourage meritorious students towards science education and to support them for continuation of their science education upto higher level, Department of Science & Technology provides Scholarship to the 3-Yr. B.Sc./4-Yr. BS/5-Yr. Integrated M.Sc./M.S. courses and 2-Yr. M.Sc. course students opting for basic and natural science subjects viz. (1) Physics; (2) Chemistry; (3) Mathematics; (4) Biology; (5) Statistics; (6) Geology; (7) Astrophysics; (8) Astronomy; (9) Electronics; (10) Botany; (11) Zoology; (12) Bio-Chemistry; (13) Anthropology; (14) Micro-biology; (15) Geo-physics; (16) Geo-Chemistry; (17) Atmospheric Science and (18) Ocean Sciences. 150 Students each of B.Sc. 1st year and M.Sc. (Previous) are selected on merit basis. Scholarship of Rs. 4,000/- per month in a year to B.Sc. Students & scholarship of Rs. 6,000/- per month once in a year is provided to M.Sc. students. The details of the scheme are available on office website www.dstharyana.org

Post Matric Scholarship for Minority Communities

1. Indian citizens-permanently residing in Haryana are eligible for the scholarship.
2. The annual income of parents/ guardians, from all sources, should not exceed 2 lakh.

3. The scholarship will be renewed only if a student gets 50% marks in the previous examination.

4. The income certificate should be issued by an S.D.M. or Tehsildar.

5. Minority Community certificate should be issued by S.D.M. Students are to apply for this scholarship on-line and their account number should be Aadhar enabled.

6. The scholarship will not be awarded to more than two students in a family.

7. A scholarship holder under this scheme will not be able to avail any other scholarship during the same course.

8. The candidates are to send a hard copy of their on-line application form to the Director General, Social Justice and Empowerment Department. Haryana, Chandigarh. For more details candidates can also log in www.scholarships.gov.in or dial 0172-2703522

नोट :- एक विद्यार्थी एक ही छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकता है।

अन्य छात्रवृत्तियाँ (Other scholarships)

निम्नलिखित अन्य छात्रवृत्तियाँ हरियाणा सरकार/कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाती है:

1. शारीरिक विकलांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति

2. माता-पिता की इकलौती लड़की को छात्रवृत्ति

Documents required for Scholarship

Photo copies of

1. D.M.C. of 10th

2. D.M.C. of 12th

3. Previous Year D.M.C. (For Renewal Students)

4. Aadhaar Card

5. Haryana Resident Certificate

6. SC/BC/Minority Caste Certificate

7. Income Certificate of Current Year

8. Copy of Aadhar Linked Bank Account (Self Account of Student) for fatherless students

9. Father Death Certificate (Only for Fatherless Students)

10. 2 Photos

11. Family ID

12. Aadhaar Seeding Proforma

Note: OTR is mandatory for all types of Scholarships Criteria of Income for Scholarship

1. For SC Students (Rs. 2,50,000 or less than)

2. For BC Students (Rs. 2,50,000 or less than)

3. For Minority Students (Rs. 2,00,000 or less than)

4. Person with Disability (Rs. 2,00,000 or less than)

5. For General Students (Rs. 4,00,000 or less than) (Merit Scholarship Scheme)

प्रवेश सम्बन्धी नियम एवं आवश्यक सूचनाएँ

(Admission Rules and Important Information)

प्रवेश ग्रहण की इच्छुक छात्राओं को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र संलग्न करने होंगे;

1. आवेदन पत्र, जिस पर उनके पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर किये गये हों।

2 पासपोर्ट साइज की तीन फोटो। एक फोटो आवेदन पत्र में निश्चित स्थान पर चिपकानी होगी।

3. मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि (Attested copy) जिसमें जन्म तिथि दी गई हो।

4. जिस स्कूल/कॉलेज से पिछली परीक्षा दी हो उसके प्राचार्य से चरित्र प्रमाण-पत्र भी प्रवेश पत्र के साथ संलग्न करना होगा। (इस कॉलेज की छात्राओं के लिए यह आवश्यक नहीं है।)

5. कुरुक्षेत्र वि श्वविद्यालय/हरियाणा शिक्षा बोर्ड के अतिरिक्त अन्य वि श्वविद्यालयों/बोर्डो के स्थानांतरण प्रमाण पत्र (Migration Certificate), अंक प्रमाण पत्र, पिछली कक्षा का अंग्रेजी सहित उत्तीर्ण प्रमाण पत्र अति आवश्यक है। महाविद्यालय के कार्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जगा करवा देने से प्रवेश ग्रहण करने की गारंटी नहीं दी जा सकती क्योंकि प्रवेश गैरिट (Merit) के आधार पर होगा। यदि छात्रा रागय पर फार्ग कार्यालय में जगा नहीं करवाती तो इसके लिए महाविद्यालय का कोई कानूनी दायित्व नहीं है।

6. आवेदन-पत्र स्वीकृत हो जाने पर विद्यार्थी को अपनी फीस निर्धारित समय के अंदर जमा करवा देनी चाहिए अन्यथा उराका स्थान अन्य विद्यार्थी को दे दिया जायेगा।

7 जमा करवाई गई फीस वापिस नहीं की जाएगी।

8. यदि प्रवेश सम्बन्धी व्यवस्था/तिथियों में कोई परिवर्तन होगा तो वह महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जायेगा।

9. यदि किसी छात्रा का व्यवहार कॉलेज के नियमों और मर्यादाओं के विपरीत पाया जायेगा तो प्राचार्या को बिना कारण बताए उस विद्यार्थी का प्रवेश अथवा पुनः प्रवेश रोकने का विशेष अधिकार है। महाविद्यालय के आन्तरिक प्रशासन के सम्बन्ध में प्राचार्या का निर्णय अन्तिम है।

10. विवरणिका में वर्णित किसी भी नियम की प्राचार्या द्वारा व्याख्या अंतिम होगी।

Weightage Policy (Maximum 10 Marks)

Weightage wherever applicable and claimed, would be given after verification of the uploaded documents and the applicant shall be provided with a `maximum weightage of 10 marks`.

Recipient of National Talent Award from NCERT	(5 Marks)
NCC Cadets who possess the 'B' Certificate **OR** Holders of Bharat Scouts & Guide Certificate awarded by the President of India **OR** Holder of Sports Certificate* **OR** NSS Merit Certificate Holder (Student of 12th Class)	(5 Marks)
Does your institute situated in Rural Area of Haryana from where you passed the 12th/Equivalent Diploma	(5 Marks)
Students who have passed 10+2 examinations with Commerce (For B.Com only)	(5 Marks)

***Sports Weightage:** Sports Certificate for weightage will only be considered, if the candidate produces the State/National position holder certificate from the respective State Government/Sports Department. In case, any state does not issue the Gradation Certificate, the following criteria will be adopted:

1. In case of International/National participation or State Position Holder, a certificate of authenticity will be required from the concerned National Federation/State Association.
2. The game/event must be in the scheduled list of the Association of Indian University Sports Calendar.
3. The tournament must be organised by a recognised Federation/Association duly affiliated with State Olympic Association/ Indian Olympic Association and Ministry of Youth Affairs & Sports.

No weightage will be given for participating/winning positions in the sports and games organised by Nehru Yuva Kendra/CBSE National, Vidya Bharti Nationals/ Rural Tournaments/ Panchayat Tournaments/ Navodaya Nationals and participation in non-recognised tournaments/ sports festivals.

From

Additional Chief Secretary to Govt. Haryana
Higher Education Department, Chandigarh

To

Registrar
1. All Govt. University of Haryana
2. All Private University of Haryana
3. Central University of Haryana, Jat Pali, Mahendergarh

Memo No.- 15/1-2020 NSS (2) 11
Dated, Panchkula:- 10.05.2023

Subject:- **To award additional 5 marks to the NSS Merit Certificate holder volunteers during the Under Graduate courses/classes admission process from the academic session 2023-24.**

****

Kindly refer to the subject cited above.

I have been directed to inform you that as per recommendation of the committee constituted for giving the weightage to NSS Merit Certificate holder students, the Government has decided that the additional 5 marks weightage is to be awarded to NSS Merit Certificate holder students of +2 class during the admissions process of Under Graduate Courses/Classes from academic session 2023-24.

Therefore, you are requested to grant 5 additional marks to NSS Merit Certificate holder students of +2 class during the admission of Under Graduate Courses/Classes from the academic session 2023-24 and the same may be consider for Under Graduate level NSS Merit Certificate holder students from the next academic session i.e. 2024-25 for admission process of Post Graduate courses/classes.

Sd/
Superintendent NSS
for Additional Chief Secretary to Govt. Haryana
Higher Education Department, Chandigarh

Endst. No. Even Dated, Panchkula:- 10.05.2023

A copy is forwarded to the followings for the information and further necessary action: -

1. All Vice Chancellors of the Universities of Haryana.
2. Director General, Secondary Education, Haryana.
3. Director, Technical Education, Haryana
4. Director, National Service Scheme, Govt. of India, New Delhi.
5. Regional Director, Regional Directorate of NSS, New Delhi.
6. PS to ACSHE.
7. PS to DHE.
8. Nodal Officer, Polytechnical NSS Units of Haryana.
9. All University (GIA/SFU) NSS Programme Coordinator of Haryana.
10. All District/Polytechnic NSS Programme Coordinator of Haryana.
11. Supdt. Coordination Branch (Local) with a request to consider/include aforementioned direction/instruction in the guidelines of UG Courses/Class admission from the academic session 2023-24.
12. Supdt. UNP (Local).
13. Incharge, IT Cell (Local) with a request to consider/include aforementioned direction/instruction in the guidelines of UG Courses/Class admission from the academic session 2023-24 and upload the letter on portal.

Shashi Bala
Superintendent NSS
for Additional Chief Secretary to Govt. Haryana
Higher Education Department, Chandigarh

No. 22/163/2024-5HR-III
HARYANA GOVERNFMENT
CHIEF SECRETARY ORGANIZATION
HUMAN RESOURCES DEPARTMENT
(Human Resources-III Br.)

Dated: Chandigarh, the 13th November, 2024

To

1. All the Administrative Secretaries to Government Haryana,
2. All the Heads of Departments in Haryana,
3. All the Managing Directors/Chief Executive Officer of Boards/Corporations of Haryana State,
4. The Registrar, Punjab and Haryana High Court, Chandigarh.
5. All the Divisional Commissioners in Haryana State,
6. All the Deputy Commissioners in Haryana.
7. Registrars of all the Universities situated in Haryana State.

Subject : Classification of Scheduled Castes for the purpose of benefit of reservation in Haryana State.

Sir,

I am directed to invite your attention to Government instructions issued vide No. 22/10/2013-1GS-III, dated 15.07.2014 and thereafter regarding rate(s) of reservation in Govt. jobs and to say that in compliance of the judgement dated 01.08.2024 of the Hon'ble Supreme Court in the case titled "State of Punjab v/s Davinder Singh (CA No. 2317 of 2011) with regard to sub-classification and adequacy of representation, the matter was referred to the Haryana State Commission for Scheduled Castes for examination and to send their recommendations to address intra-community disparities and to ensure a fair and equitable distribution of reservation benefits. The Commission submitted their report on 16th August, 2024 prepared on the basis of analysis of the data received from various sources including different Departments and of the demands, representations and review of literature related to the subject. The recommendations of the Commission regarding classification of Scheduled Castes reservation in Govt. jobs were considered by the State Government. After the approval of Council of Ministers, it has been decided that—

(i) For the purpose of reservation in services, the Scheduled Castes in Haryana will be sub-categorized in two categories i.e. Deprived Scheduled Castes (DSC) and Other Scheduled Castes (OSC).

(ii) List of Deprived Scheduled Castes and Other Scheduled Castes has been enclosed at ***Annexure-A*** of these instructions.

(iii) Within the existing 20% quota reserved for Scheduled Castes in direct recruitment to Govt. jobs, one-half of the posts will be reserved for candidates of Deprived Scheduled Castes. If and only if suitable candidates of Deprived Scheduled Castes are not available, then suitable candidates of Other Scheduled Castes may be recruited against the balance vacant posts.

(iv) Similarly, one-half of the quota reserved for Scheduled Castes shall be reserved for candidates belonging to Other Scheduled Castes. If and only if suitable candidates of Other Scheduled Castes are not available, then suitable candidates of Deprived Scheduled Castes may be recruited against the balance vacant posts.

(v) The combined merit list of the candidates belonging to Deprived Scheduled Castes and Other Scheduled Castes selected/recommended by the Recruiting Agency will

be prepared and inter-se seniority of such candidates will also be fixed on the basis of merit.

(vi) It will not be necessary to fix the roster points separately for each of the sub-categories within the present roster system.

(vii) If on a particular occasion the total number of vacant posts (cadre wise) meant for Scheduled Castes is odd, say 9, then 5 of them will go to Deprived Scheduled Castes and 4 posts to Other Scheduled Castes. On the next such occasion, however, the position would be reversed, i.e. 4 of them will go to Deprived Scheduled Castes and 5 posts to Other Scheduled Castes.

(viii) After the issue of these instructions, the first vacant post reserved for Scheduled Castes will be allocated to Deprived Scheduled Castes without any change in the roster point already maintained by the Department.

2. These instructions will be applicable with immediate effect and Annexure-B of instructions bearing No. 22/10/2013-1GS-III, dated 15.07.2014 in which the list of castes which are to be treated as Scheduled Castes in Haryana State has been specified for the purpose of reservation in jobs under Government/Government Undertakings and Local Bodies as well as for admission in Government/Government aided educational/technical professional institutions, will be deemed to have been replaced with the Annexure-A of these instructions.

3. These instructions may please be brought to the notice of all concerned for strict compliance.

Yours faithfully,

S. Singh

Deputy Secretary Human Resources,
for Chief Secretary to Government, Haryana.

Contd....

Annexure-A

List of Deprived Scheduled Castes & Other Scheduled Castes			
Sr. No.	**Sr. No. in GoI List**	**List of Castes**	**Category**
1	1.	Ad Dharmi	Deprived Scheduled Castes
2	1 A.	Aheria, Aheri, Hari, Heri, Thori, Turi	Deprived Scheduled Castes
3	2.	Balmiki, Chura, Bhangi	Deprived Scheduled Castes
4	3.	Bangali	Deprived Scheduled Castes
5	4.	Barar, Burar, Berar	Deprived Scheduled Castes
6	5.	Batwal, Barwala	Deprived Scheduled Castes
7	6.	Bauria, Bawaria	Deprived Scheduled Castes
8	7.	Bazigar	Deprived Scheduled Castes
9	8.	Bhanjra	Deprived Scheduled Castes
10	9.	*Chamar, Jatia Chamar, Rehgar, Raigar, Ramdasi, Ravidasi, Balahi, Batoi, Bhatoi, Bhambi, Chamar-Rohidas, Jatav, Jatava, Mochi, Ramdasia*	*Other Scheduled Castes*
11	10.	Chanal	Deprived Scheduled Castes
12	11.	Dagi	Deprived Scheduled Castes
13	12.	Darain	Deprived Scheduled Castes
14	13.	Deha, Dhaya, Dhea	Deprived Scheduled Castes
15	14.	Dhanak	Deprived Scheduled Castes
16	15.	Dhogri, Dhangri, Siggi	Deprived Scheduled Castes
17	16.	Dumna, Mahasha, Doom	Deprived Scheduled Castes
18	17.	Gagra	Deprived Scheduled Castes
19	18.	Gandhila, Gandil Gondola	Deprived Scheduled Castes
20	19.	Kabirpanthi, Julaha, Kabirpanthi Julaha	Deprived Scheduled Castes
21	20.	Khatik	Deprived Scheduled Castes
22	21.	Kori, Koli	Deprived Scheduled Castes
23	22.	Marija, Marecha	Deprived Scheduled Castes
24	23.	Mazhabi, Mazhabi Sikh	Deprived Scheduled Castes
25	24.	Megh, Meghwal	Deprived Scheduled Castes
26	25.	Nat, Badi	Deprived Scheduled Castes
27	26.	Od	Deprived Scheduled Castes
28	27.	Pasi	Deprived Scheduled Castes
29	28.	Perna	Deprived Scheduled Castes
30	29.	Pherera	Deprived Scheduled Castes
31	29 A.	Rai Sikh	Deprived Scheduled Castes
32	30.	Sanhai	Deprived Scheduled Castes
33	31.	Sanhal	Deprived Scheduled Castes
34	32.	Sansi, Bhedkut, Manesh	Deprived Scheduled Castes
35	33.	Sansoi	Deprived Scheduled Castes
36	34.	Sapela, Sapera	Deprived Scheduled Castes
37	35.	Sarera	Deprived Scheduled Castes
38	36.	Sikligar, Bariya	Deprived Scheduled Castes
39	37.	Sirkiband	Deprived Scheduled Castes

*****

JCMM ASSANDH

"Together we learn, together we grow."

For more info:
8569895047

Visit us:
www.jcmmassandh.com